

न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीधी, श्रृंखला न्यायालय रामपुरनैकिन, जिला—सीधी (म०प्र०) (सदस्यः— आर.पी. कतरौलिया)

Registration No.	MACC/6/2018
Filing No.	MACC/32/2018
CNR No.	MP5307-000171-2018
Filing Date	14-03-2018

- सोनू देवी पत्नी स्व. अजय कुमार पाण्डेय, उम्र–27 वर्ष, पेशा–गृहकार्य,
- 2. दीक्षा पाण्डेय पुत्री स्व. अजय कुमार पाण्डेय, उम्र-05 वर्ष,
- 3. ऋचा पाण्डेय पुत्री स्व. अजय कुमार पाण्डेय, उम्र-5 वर्ष,
- प्रियल पाण्डेय पुत्री स्व. अजय कुमार पाण्डेय, उम्र–9 माह, तीनों अवयस्क द्वारा संरक्षिका मां आवेदिका क्रमांक–1, मुस. सोनी देवी पत्नी अजय कुमार पाण्डेय,
- 5. मानवती पाण्डेय पत्नी रामानंद पाण्डेय, उम्र—52 वर्ष, पेशा—गृहकार्य, सभी निवासी ग्राम—कंधवार, तहसील—रामपुरनैकिन, जिला—सीधी (म.प्र.)

—आवेदकगण

/ / बनाम / /

- रामेश्वर तिवारी तनय संकटमोचन तिवारी, उम्र—35 वर्ष, निवासी ग्राम—बदवार, थाना एवं तहसील गुढ़, जिला—रीवा म.प्र., वाहन स्वामी वाहन क्रमांक—एम.पी. 17 एच.एच. / 3068
- 2. विनोद सिंह तनय दशरथ सिंह, उम्र—35 वर्ष, साकिन नेबूहा, थाना—मझौली, जिला—सीधी म.प्र. वालन चालक वाहन क्रमांक—एम.पी. 17 एच.एच. / 3068
- 3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय, श्याम काम्पलेक्स न्यू दुर्गा द्रेडर्स रीवा म.प्र. 486001

——<u>अनावेदकगण</u>

<u>::-अ धि नि र्ण य-::</u> (आज दिनांक-19/03/2021 को घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध यह प्रतिकर आवेदन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम—220 के तहत दुर्घटना दिनांक 15.09.2017 को समय करीब 01:30 बजे थाना—रामपुरनैकिन, जिला—सीधी म.प्र. के अधीन करबा रामपुरनैकिन रूनझुन होटल के पास अनावेदक क.—1 के वाहन द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 को अनावेदक क्र.



- —2 द्वारा उपेक्षा, लापरवाहीपूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आवेदिका कृ.—1 के पित अजय कुमार पाण्डेय को टक्कर मारने से उसे आयी चोटों के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि ₹46,97,000 / —(िष्ठयालीस लाख सत्तानवे हजार रूपये) अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः दिलाये जाने बावत् पेश किया गया है।
- 2. आवेदकगण का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2017 को रात में अजय कुमार पाण्डेय रीवा से अपनी मोटर सायकल से अपने घर ग्राम कंधवार जा रहा था जैसे ही वह रामपुरनैकिन रूनझुन होटल के पास रात करीब 01:30 बजे पहुंचा तो चुरहट तरफ से द्रक कमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 को अनावेदक क. —2 काफी तेज, लापरवाही व उतावलेपन से चलाते हुये आया और अजय कुमार पाण्डेय को टक्कर मार दिया जिससे उसके शरीर में काफी चोटें आयी। उसे उपचार हेतु रामपुरनैकिन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना रामपुरनैकिन में किये जाने पर मामले की विवेचना पश्चात अनावेदक क.—2 के विरुद्ध अपराध क.—349/2017 अंतर्गत धारा 304ए भा.दं.सं. में मामला पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- आवेदन में यह भी आधार लिया कि अनावेदक क.-क.-1 दुर्घटना करने वाले द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 का पंजीकृत स्वामी एवं अनावेदक क्र.—2 उक्त वाहन का नियोजित चालक है तथा अनावेदक क.-3 उक्त वाहन की बीमा कंपनी है जहां समस्त जोखिमों के लिये वाहन बीमाकृत थी। यह भी व्यक्त किया गया है कि अनावेदक क.—1 मृतक की पत्नी, आवेदक क.—2 लगायत 4 मृतक की पुत्रियां एवं आवेदिका क.-5 मृतक की मां है। क्लेम आवेदन में आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक 32 वर्षीय नवयुवक पढ़ा—लिखा होकर हायर सेकेण्डी पास था व गुजरात में रहकर प्रायवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके बाद सन् 2015 में अपने भाई पंकज कुमार पाण्डेय के द्रक संचालन के व्यवसाय में आफिस में कार्य करने लगा। भाई पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा मृतक को 16000 / –रूपये मासिक वेतन देता था। जिसे आवेदक अपनी पत्नी को देता था और आवेदकगण का गुजर बसर होता था। मृतक अपने भाई व पिता से हिस्सा बांट कर पत्नी बच्चों सहित पृथक रहता था। अजय कुमार पाण्डेय की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से आवेदकगण बेसहारा हो गये हैं और उन्हें काफी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। अतः आवेदकगण ने समस्त मदों में कुल 46,97,000 / —रूपये रूपये क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः दिलाये जाने का निवेदन किया है।
- 4. अनावेदक क.—1 की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन का जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि वह वाहन क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 का पंजीकृत स्वामी है तथा उसका वाहन अनावेदक क.—3 की बीमा कंपनी में समस्त जोखिमों के बीमाकृत था। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि उसने जिला परिवहन अधिकारी को विधिवत



शुल्क अदा कर वाहन का परिमट प्राप्त किया था तथा निर्धारित रोड टैक्स अदा किया है। उसने वाहन का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वाहन का निर्धारित शुल्क अदा किया गया है। उसने वाहन को चलाने हेतु प्रशिक्षित चालक अनावेदक क.—2 को नियुक्त किया था। उसका वाहन बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में नहीं चलाया गया। अतः उसके विरुद्ध क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- 5. अनावेदक क.—2 की ओर से क्लेम आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर आधार लिया कि है कि उसने वाहन क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 का संचालन करता है। उसके वाहन से किसी प्रकार की घटना कारित नहीं हुई। अतिरिक्त कथन में आधार लिया कि वाहन चलाने हेतु उसे जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विधिवत लायसेंस जारी किया गया था। अतः उसके विरूद्ध क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- अनावेदक क.-3 बीमा कंपनी की ओर से उक्त क्लेम आवेदन का जवाब 6. प्रस्तुत कर आधार लिया कि अनावेदक क.-1 का वाहन उसकी बीमा कंपनी में बीमाकृत नहीं था। यह भी आधार लिया कि कथित घटना दिनांक 16.09.2017 को वाहन क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 वगैर वैध रजिस्द्रेशन, परमिट, फिटनेश तथा बिना प्रभावी बीमा के चलाया जा रहा था जो मोटरयान अधिनियम एवं बीमा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है जिससे अनावेदक क.-3 किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतू उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटना दिनांक को चालक के वैध व प्रभावी द्वायविंग लायसेंस नहीं था। यह भी निवेदन किया कि आवेदकगण एवं अनावेदक कृ.—1 व 2 के बीच आपस में दूरिभ संधि है। दुर्घटना पश्चात आवेदकगण एवं अनावेदक कृ.-1 व 2 द्वारा दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गई और न ही अनावेदक क.-1 व 2 द्वारा वाहन से संबंधित दस्तावेज, रजिस्द्रेशन, परिमट, फिटनेश, बीमा पालिसी एवं चालक लायसेंस प्रस्तुत कर उसका सत्यापन ही कराया गया है। बीमा कंपनी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटना मृतक की लापरवाही से घटित हुई है और उक्त दुध टिना में मृतक की योगदायी उपेक्षा थी। अतः अनावेदक क.-3 बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति अ विदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 7. क्षतिपूर्ति दावा के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं, जिनका निराकरण कर उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष दिया जा रहा है:—

क0	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
(1)	क्या दिनांक 16.09.2017 को समय 01:30 बजे रात्रि को थाना रामपुरनैकिन, जिला—सीधी म.प्र. के अधीन रामपुरनैकिन रूनझुन होटल के पास अनावेदक क.—2 ने अनावेदक क.—1 के स्वामित्व के द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच.	''प्रमाणित ''



	3068 को उपेक्षा, लापरवाहीपूर्वक व उतावलेपन से चलाकर अजय कुमार पाण्डेय को टक्कर मार दिया?	
(2)	क्या उक्त दुर्घटना में अजय कुमार पाण्डेय की मृत्यु कारित हुई?	'' प्रमाणित ''
(3)	क्या अनावेदक क.—2 द्वारा चलाये जा रहे द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 को दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया?	
(4)	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना और किससे?	अधिनिर्णय कंडिका—29 के अनुसार।
(5)	सहायता एवं व्यय?	अधिनिर्णय कंडिका—29 के अनुसार।

ः विवेचना एवं निष्कर्ष ः

- 8. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वह केवल दावाकृत राशि तक ही प्रतिकर दिला सकता है। प्रतिकर को उचित होना चाहिए। यह दावाकृत राशि से अधिक भी हो सकता है। इसके बावत् नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह तथा अन्य 2003 (2) एस.सी.सी. 274 एवं सोमवती गुप्ता तथा अन्य बनाम अशोक कुमार भट्ट तथा अन्य 2003(3) एम.पी.एल.जे. 63 अवलोकनीय है।
- 9. अधिनिर्णय के मामलों में साक्ष्य विधान के कड़े कानून लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना होता है कि एक्सीडेन्ट मोटर व्हीकल से कारित हुआ और उसके कारण चोट कारित हुई। इस हेतु माननीय न्यायदृष्टांत मनफूल तथा अन्य बनाम महमूद तथा अन्य 2003(4) एम.पी.एल.जे.—174 अवलोकनीय है।
- 10. प्रतिकर के लिए आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसमें विवाद्यक के निर्मित हो जाने के बाद अधिकरण उसे अदम पैरवी में निरस्त नहीं कर सकता। अधिकरण रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अवार्ड पारित करने के लिए आबद्ध है। इस हेतु माननीय न्यायदृष्टांत भगवान मिलक बनाम नगेन्द्र विश्वालव तथा अन्य 1996 ए. सी.सी(उडीसा) 713 एवं 2000 (2) ए.सी.सी. 78 (एम.पी.) अवलोकनीय है।

वादप्रश्न कमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है:–



- 11. आवेदिका साक्षी क.—1 श्रीमती सोनू देवी मृतक अजय कुमार पाण्डेय की पत्नी होकर प्रकरण की आवेदिका है। उक्त साक्षी द्वारा कथन किया है कि दिनांक 15. 09.2017 को उसके पित अजय कुमार पाण्डेय रीवा गये हुये थे, जहां से वे रात में अपनी मोटरसायकल से अपने घर ग्राम कंधवार वापस आ रहे थे, तभी रामपुरनैकिन रूनझुन होटल के पास रात करीब 01:30 बजे चुरहट तरफ से द्रक कमांक एम.पी. 17 एच.एच./3068 को आवेदक क.—2 विनोद सिंह, लापरवाही व उतावलेपन से चलाते हुये पित को टक्कर मार दी जिसकी सूचना रात में उसे मिलने से घर परिवार के लोग उसके पित के पास गये थे। रामपुरनैकिन अस्पताल में उपचार हेतु ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत बताया गया। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट रिश्तेदार शिवार्चन पाण्डेय द्वारा थाना रामपुरनैकिन में की थी।
- 12. उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण के पद क.—8 में बताया है कि उक्त दुध् िरना की जानकारी उसे शिवार्चन प्रसाद पाण्डेय द्वारा दी थी, परंतु उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं थी, न ही उसने घटना होते हुये देखी, इसलिए उक्त साक्षी की यहां तक तो साक्ष्य विश्वसनीय है कि मृतक की मृत्यु एक्सीडेंट दुर्घटना में हुई थी, परंतु जिस वाहन से उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चालन से दुर्घटना हुई थी। उक्त के संबंध में यह साक्षी आ.सा.—2 शिर्वाचन प्रसाद पाण्डेय के बताये अनुसार बताया है।
- 13. आवेदक साक्षी क.—2 शिवार्चन पाण्डेय द्वारा कथन में बताया है कि मृतक अजय कुमार पाण्डेय उसका मित्र / रिश्तेदार था। दिनांक 15.09.2017 को वह रीवा में किराये के मकान में रहने के दौरान रात्रि करीब 11 बजे अजय कुमार पाण्डेय उर्फ रिंकू अपने भाई पंकज के मकान में आकर रीवा में रूका था। उक्त के संबंध में आवेदिका साक्षी क.—1 ने भी कथन किया है कि उसके पित किसी काम से ग्राम से रीवा गये हुये थे।
- 14. आवेदक साक्षी क.—2 द्वारा कथन में बताया है कि मृतक अजय कुमार पाण्डेय द्वारा रात्रि 11:00 बजे उसे फोन करके बताया था कि वह जरूरी काम से उसे घर जाना है, रात अधिक हो गई है, घाटी में डर लगेगा तो वह मृतक अजय के आग्रह पर उसके साथ अपनी अलग मोटरसायकल से ग्राम कंधवार के लिये रीवा से रवाना हुआ था। तभी रामपुरनैकिन में रूनझुन होटल के सामने एक बल्कर द्रक सामने से चुरहट तरफ से काफी तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये रात में करीब 01:30 बजे आया और जोर से मृतक अजय कुमार पाण्डेय को ठोकर मारकर भाग गया। वह मृतक के पीछे—पीछे मोटरसायकल से चल रहा था। बल्कर का नंबर एम.पी. 17 एच.एच. 3068 था। एक्सीडेंट के बाद तत्काल उसने वाहन का नंबर देख लिया था। तत्काल उसने 100 नंबर डायल कर पुलिस को उसने सूचना दी थी। उसके पश्चात मृतक के भाई को घटना की सूचना दी थी। घर के लोग आ गये थे। अजय को तत्काल सी.एच.सी. रामपुरनैकिन ले जाकर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उक्त साक्षी



के कथानक अनुसार दुर्घटना की सूचना के संबंध में समर्थन आवेदिका साक्षी क. —1 द्वारा भी किया है।

- 15. उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में अनावेदकगण की ओर से सुझाव में प्रश्न पूछे जाने पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि दुर्घटना के समय उक्त साक्षी मौके पर उपस्थित नहीं था।
- 16. अनावेदक क.—3 के जवाब आवेदन के समर्थन में यह बचाव है कि उक्त दुर्घटना वाहन क.—17 एच.एच. 3068 से न होकर, वाहन क.—एम.पी. 17 एच.एच. 1712 से हुई है। उक्त सुझाव को आवेदक साक्षी द्वारा अस्वीकार किया है। उक्त के संबंध में अनावेदक क.—3 की ओर से अनावेदक साक्षी क.—1 अशोक शुक्ला प्रधान आरक्षक का कथन कराया गया है। अनावेदक क.—3 की ओर से परीक्षित कराये गये उक्त साक्षी द्वारा कथन में बताया है कि दिनांक 16.09.2017 को प्र.पी.—1 की अ.सा.—2 द्वारा रिपोर्ट लिखाते समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम.पी. 17 एच.एच. 1712 लिखाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। परंतु उक्त सुझाव को आवेदक साक्षी क.—2 द्वारा अस्वीकार किया है व बताया है कि उसने प्र.पी.—1 की रिपोर्ट लिखाते समय दुर्घटना कारित वाहन का नंबर एम.पी. 17 एच. 3068 लिखाया था।
- अनावेदक क.-3 के साक्षी अनावेदक साक्षी क.-1 ने बताया है कि **17**. प्रकरण में उसके द्वारा विवेचना नहीं की गई है। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त अपराध में विवचेना के दौरान दुर्घटना कारित वाहन क्रमांम एम.पी. 17 एच.एच. 3068 के वाहन चालक के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था। उक्त के संबंध में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.-3 जे.एम.एफ.सी. न्यायालय रामपुरनैकिन के आपराधिक प्र.क.—422 / 2017 का जप्ती पत्रक है। उक्त दुर्घटना के संबंध में अपराध क. −349 / 2017 व जप्ती पत्रक प्र.पी.−3 अनुसार दुर्घटना कारित वाहन एम.पी. 17 एच.एच. 3068 बल्कर को मय दस्तावेज अनावेदक क.—2 विनोद सिंह से जप्त किया जाना लेख है। अंतिम अभियोग पत्र प्र.पी.—2 की प्रति अवलोकन अनुसार जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में उक्त अपराध में उक्त वाहन व चालक के विरूद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ है। आवेदक साक्षी क.—2 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी द्वारा उक्त वाहन के चालक द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दूध िटना कारित किये जाने के संबंध में कथन किया है। अतः आवेदक साक्ष्य से साबित पाया जाता है कि घटना दिनांक 15.09.2017 को समय 01:30 बजे रूनझून होटल के पास रामपुरनैकिन में द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 के चालक अनावेदक क्र.–1 विनोद सिंह द्वारा उक्त वाहन की उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर अजय कुमार पाण्डेय को टक्कर लग जाने से अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः वादप्रश्न क.-1 एवं 2 प्रमाणित पाते हुये निष्कर्ष सकारात्मक रूप से हां में दिया जाता है ।



वादप्रश्न क0-3 का निष्कर्ष:-

इस संबंध में अनावेदक क.-1 रामेश्वर तिवारी द्वारा क्लेम आवेदन के 18. जवाब के समर्थन में कथन किया है कि वह वाहन क.-एम.पी. 17 एच.एच. 3068 का रजिस्टर्ड स्वामी है। दस्तावेज प्र.डी.–1 बीमा पॉलिसी अवलोकन अनुसार उक्त वाहन 26.03.2017 से दिनांक 25.03.2018 तक 32120231156300017972 से बीमित होकर वाहन स्वामी रामेश्वर तिवारी तनय संकटमोचन तिवारी अनावेदक क.-1 लेख है। उक्त के संबंध में अनावेदक क.-1 साक्षी रामेश्वर तिवारी के प्रतिपरीक्षण में अनावेदक क.-3 बीमा कंपनी की ओर से दुर्घटना के समय वाहन बीमित न होने के संबंध में एवं बीमा की शर्तों के उल्लंघन में चलाये जाने बावत प्रतिपरीक्षण में सुझाव देकर चुनौती नहीं दी है। सुझाव में प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा बताया है कि उक्त दुर्घटना में उसके वाहन को पुलिस ने जप्त किया था तथा चालक को गिरफ्तार किया था। उक्त के संबंध में असत्य कथन न करना व्यक्त किया है। अतः उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुये यह साबित होना पाया जाता है कि दुर्घटना दिनांक 16.09.2017 को वाहन द्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 3068 बीमित होकर पॉलिसी की शर्तों के अधीन चलाया जा रहा था। अतः वादप्रश्न क.-3 अप्रमाणित पाते हुये निष्कर्ष नकारात्मक रूप से नहीं में दिया जा रहा है।

वादप्रश्न क0-4 का निष्कर्ष:-

- 19. इस संबंध में आवेदकगण के क्लेम आवेदन में अभिवचन है कि मृतक अजय कुमार पाण्डेय की उम्र दुर्घटना के समय 32 वर्ष थी। उक्त का समर्थन आवेदिका साक्षी 1 एवं आवेदक साक्षी कृ.—2 ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। अनावेदकगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 32 वर्ष नहीं थी। उक्त के अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र. पी.—4 शव परीक्षण रिपोर्ट अवलोकन अनुसार भी मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 32 वर्ष लेख है। नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.—7 में मृतक की उम्र 32 वर्ष लेख है। अतः उक्त से यह पाया जाता है कि मृतक अजय कुमार पाण्डेय की उम्र दुर्घटना के समय 32 वर्ष थी।
- 20. आवेदिकागण की ओर से क्लेम आवेदन में अभिवचन है कि मृतक नवयुवक पढ़ा—लिखा होकर हायर सेकेण्ड्री पास था व गुजरात में रहकर प्रायवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके बाद सन् 2015 में अपने भाई पंकज कुमार पाण्डेय के द्रक संचालन के व्यवसाय में आफिस में कार्य करने लगा। भाई पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा मृतक को 16000/—रूपये मासिक वेतन देता था। जिसे आवेदक अपनी पत्नी को देता था और आवेदकगण का गुजर बसर होता था। मृतक अपने भाई व पिता से हिस्सा बांट कर पत्नी बच्चों सहित पृथक रहता था। अजय कुमार पाण्डेय की दुर्घटना में मृत्यु



हो जाने से आवेदकगण बेसहारा हो गये हैं और उन्हें काफी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। अतः आवेदकगण ने समस्त मदों में कुल 46,97,000 / – रूपये रूपये क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः दिलाये जाने का निवेदन किया है।

- 21. परंतु उक्त के संबंध में आवेदकगण की ओर से मृतक के अपने भाई के यहां काम करके वेतन प्राप्त करेन बावत बैंक पास बुक या अन्य कोई हाजिरी रिजस्टर इस आशय का प्रस्तुत नहीं है कि मृतक अपने बड़े भाई पंकज पाण्डेय के यहां मुनीमगीरी के रूप में कार्य करता था। जहां तक आवेदक साक्षी क.—3 द्वारा अपने हस्ताक्षर सहित प्र.पी.—8 का प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रश्न है। परंतु उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय के प्रिंटेड प्रोफार्मा पर नहीं है और उक्त प्रमाण पत्र किस रिजस्टर से आवक—जावक हुआ अंकित नहीं है। इसिलए मात्र प्रमाण पत्र के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक अपने बड़े भाई के यहां मुनीमगीरी के रूप में कार्य कर 16 हजार रूपये मासिक आय अर्जित करता था। ऐसी स्थिति में जहां मृतक की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर न हो, वहां नोशनल इन्कम मानकर प्रतिकर दिलवाया जाना उचित है। अतः मामले में मृतक की आय 6000/—रुपये मासिक नियत की जाती है। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एस.सी. सी. 683 अवलोकनीय है।
- क्लेम आवेदन में आवेदिका क.-1 मृतक अजय कुमार पाण्डेय की पत्नी, आवेदक क.—2, 3 पुत्रियां एवं आवेदक क.—4 पुत्र तथा आवेदिका क.—5 मां होना लेख है। उक्त के संबंध में अनावेदकगण की ओर से खण्डन में कोई अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि आवेदकगण मृतक की पत्नी, पुत्र पुत्रियां एवं मां नहीं है। उक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण मृतक के विधिक वारिस होना दर्शित है। आवेदकगण के क्लेम आवेदन में यह अभिवचन है कि मृतक रामायण यादव विवाहित होकर उसके दो पुत्रियां एवं एक पुत्र हैं। क्लेम आवेदन में आवदिका क.-5 की माता मानवती पाण्डेय की उम्र-52 वर्ष होना लेख है। आवेदिका के क्लेम आवेदन में अभिवचन है कि मृतक वह अपने मृतक पति के साथ बड़े भाई अर्थात् जेठ से पृथक होकर रह रही थी उसके साथ उसकी सास भी रहती थी। उक्त से यह दर्शित है कि आवेदिका क.-5 भी मृतक अजय कुमार पाण्डेय पर आश्रित थी। न्याय दृष्टांत सरला वर्मा तथा अन्य बनाम दिल्ली द्वांसपोर्ट कार्पोरेशन तथा अन्य (2009) 6 एस.सी.सी. 121 प्रतिपादित किया है कि यदि मृतक विवाहित है और मृतक के आश्रितों की संख्या 4 से 6 है तो मृतक की आमदनी का व्यक्ति खर्च में 1/4 भाग कम किया जाना चाहिए। प्रस्तृत मामले में मृतक के आश्रित 5 हैं इसलिए मृतक के व्यक्तिगत खर्च में 1/4 भाग काटा जायेगा।



- 23. न्यायदृष्टांत किरण विरूद्ध सज्जन सिंह 2015(2) एम.पी.एल.जे. 662 एस.सी. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों को देय मुआवजा तर्क संगत रूप में पर्याप्त होना चाहिए ताकि आहत व्यक्ति को अधिकतम संभव सीमा तक उसका सामान्य जीवन जीने हेतू सहायक हो सके।
- 24. माननीय उच्चतम न्यायालय के <u>न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी</u> लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी 2017(4)—एम.ए.सी.डी.—1375 (एस.सी.): ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157 पांच न्यायपूर्ति की पीठ ने निर्णय चरण—61 (VI) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप तथा न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम देल्ही ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य (2009) 6 एस.सी.सी. 121 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार गुण्य एवं गुणांक का चयन किया जायेगा। मृतक विवाहित होकर उसके पत्नी, दो पुत्रियां व एक पुत्र एवं माता सहित सहित कुल 05 व्यक्ति उस पर आश्रित होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में मृतक के स्वयं के खर्च के मद में 1/4 भाग की कटौती की जायेगी। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 32 वर्ष होना प्रमाणित है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत सरला वर्मा में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मामले में 16 का गुणांक प्रयुक्त होगा।
- उक्तानुसार मृतक की व्यक्तिगत आय 6000 / रूपये मासिक आय के 25. आधार पर 72000 / - रूपये वार्षिक होती है। उक्त राशि 72000 / - रूपये में 16 का गुणांक प्रयुक्त करने पर 72,000X16=11,52,000/- रूपये आय हुई। आवेदिका क.—2 मतक की मृत्य के परिणामस्वरूप भविष्य में सम्पत्ति अर्जित करती इस प्रत्याशा से भी वंचित रहे। अतः वे इस मद में भी प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूंकि मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 32 वर्ष मानी गई है ऐसी स्थिति में न्यायदृष्टांत हेमराज विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 ए.सी.जे. 5 एस.सी. तथा प्रणय सेठी वाले न्यायदृष्टांत के चरण-61 अनुसार यदि मृतक की उम्र 40 वर्ष के भीतर है तब उसकी स्थापित आय का 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के रूप में और जोड़ा जायेगा। अतः भविष्य की सम्पदा की नुकसानी के मद में भी आवेदकगण 4,60,800 / - रूपये प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस तरह कुल आय की हानि 16,12,800 / - रूपये होती है। चूंकि मृतक पर आश्रित की संख्या 5 है तथा मृतक विवाहित है इसलिए मतक की आमदनी में उसके द्वारा स्वयं के खर्च की कटौती के मद में उक्त राशि का 1/4 भाग काटे जाने पर कुल आय की हानि 12,09,600/-रूपये आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
- 26. आवेदकगण की ओर से मृतक के इलाज में हुये खर्च संबंधी कोई बिल पर्चा पेश नहीं होने से आवेदकगण उक्त मद में राशि पाने के पात्र नहीं हैं। आवेदकगण को मृतक की मृत्यु पश्चात उसके शव को अपने घर ले जाने में वाहन व्यय करना पड़ा होगा। अतः उक्त के मद में आवेदकगण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

आवेदकगण अजय कुमार पाण्डेय की मृत्यु हो जाने से उनके प्रेम स्नेह, लाड प्यार से वंचित हुये हैं। अतः आवेदकगण इस मद में प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायदृष्टांत प्रणय सेठी में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप आवेदक क0—1 को साहचर्य की हानि के मद में 40,000/—रूपये, संपदा की हानि के मद में 15000/—रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च के लिये 15000/—रूपये जोड़े जाने का निर्देश है। चूंकि माननीय न्यायदृष्टांत प्रणय सेठी में पारित निर्णय अनुसार 03 वर्ष अवधि पश्चात उक्त राशियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना आदेशित है। इसलिए उक्त राशि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर राशि निर्धारित की जायेगी। अतः उक्तानुसार गणना करने पर निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित होती है:—

क	शीर्षक	गणना
1	जीवन निर्वाह खर्च घटाकर कुल आय की क्षति एवं भविष्य की क्षति	12,09,600 / —
2	साहचर्य हानि	44,000 / -
3	संपदा की हानि	16500 / —
4	अंतिम संस्कार की क्षति	16500 / —
5	आवेदक क.—2 लगायत 4 को अपने पितृ प्यार से तथा आवेदिका क.—5 अपने पुत्र मोह से वंचित होने की क्षति	25,000 x4=1,00,000 /-
6	मृतक को घर तक ले जाने में वाहन व्यय	1000/-
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	13,87,600 / —

अतः कुल क्षतिपूर्ति राशि 13,87,600 / — रुपये (तेरह लाख सतासी हजार छः सौ रूपये मात्र) निर्धारित होती है।

- 27. आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र में क्षितपूर्ति राशि पर 12 प्रतिशत् वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने का भी निवेदन किया है। प्रस्तुत मामले में आवेदकगण ने आवेदन पत्र के निराकरण में कोई सारभूत विलंब किया हो ऐसा दर्शित नहीं है। अतः आवेदिका उक्त क्षितपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 14.03.2018 से अधिनिर्णय दिनांक 19.03.2021 तक 06 प्रतिशत् वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है और यदि उक्त क्षितपूर्ति राशि अधिनिर्णय दिनांक से 30 दिन के अंदर अदा नहीं की जाती है तो आवेदिका उक्त क्षितपूर्ति राशि और ब्याज पर अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक भी 06 प्रतिशत् वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी।
- 28. चूंकि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क.—1 का वाहन क. एम.पी.



17 एच.एच. 3068 अनावेदक क.—3 की बीमा कंपनी में बीमित होना प्रमाणित है। अतः उक्त क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क.—3 बीमा कंपनी अदा करने हेतु दायी है।

वाद बिन्दु कमांक 5 का निष्कर्ष:-

11

- 29. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के उपरांत यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदकगण अपना आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—166 मोटरयान अधिनियम 1988 अनावेदकगण के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलस्वरूप आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये निम्नानुसार अधिनिर्णय अनुसार अवार्ड पारित किया जाता है:—
 - 1. अनावेदक क.—3 बीमा कंपनी कुल 13,87,600 / रुपये (तेरह लाख सतासी हजार छः सौ रूपये मात्र) आवेदक क.—1 लगायत 5 को अदा करेगी।
 - 2. आवेदक क.—1 को 4,00,000 / —रूपये नगद उसके बैंक खाते के माध्यम से तथा आवेदक क.—5 को उक्त राशि में से 1,00,000 / —रूपये उसके बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे तथा शेष राशि आवेदक क.—2 लगायत 4 को समान भागों में प्राप्त होगी।
 - 3. **आवेदक क**.—2 लगायत 4 को उनके हिस्से की समान भाग की संपूर्ण राशि उनके नाम से पृथक—पृथक उनके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जावे।
 - 4. अनावेदक क.—3 बीमा कंपनी उक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को 02 माह के अंदर अदा करेगी। यदि अनावेदक क.—3 द्वारा विहित समयाविध में प्रतिकर राशि अदा नहीं की जाती है तो अनावेदक क.—3, आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 14.03.2018 से वसूली दिनांक तक उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करेगी।
 - यदि अनावेदक द्वारा आवेदकगण को कोई अन्तरिम प्रतिकर राशि का भुगतान किया गया हो तो उसे अधिनिर्णित राशि में समायोजित किया जावेगा।
 - 6. अनावेदकराण अपना व आवेदकराण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
 - 7. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार अथवा 5000 / —रुपये जो भी कम हो आंकी जाय।

तद्नुसार व्यय तालिका तैयार की जावे ।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनॉकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देश पर टंकित।

सही / – (आर.पी.कतरौलिया) सदस्य द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्रृंखला न्यायालय रामपरुनैकिन जिला—सीधी (म0प्र0)

(आर.पी.कतरौलिया) सदस्य द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्रृंखला न्यायालय रामपुरनैकिन, जिला—सीधी (म0प्र0)